UPKS060006312022

न्यायालय सिविल जज जू०डि०त्वरित न्यायालय- प्रथम, कौशाम्बी।

उपस्थित : सबा फातिमा (उ० प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद सं० - 504/2002

1 जैनुल आबदीन उम्र लगभग 48 वर्ष | पुत्रगण स्व०

2 . सिद्दीक अहमद उम्र लगभग 45 वर्ष | मॉइन उददीन

समस्त निवासीगण ग्राम व पोस्ट दारानगर परगना कहा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी।

..... वादीगण ।

बनाम

1 ग्राम पंचायत / गांव सभा मौजा थुलबुला परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रधान

2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलेक्टर, जनपद कौशाम्बी।

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद वादिगण द्वारा प्रतिवादिगण के विरुद्ध स्थायी व्यादेश हेतु योजित किया गया

2. वादिगण का वाद कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण का एक क्रिता पुस्तैनी मकान मौजा थुलबुला परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी में वादीगण के पूर्वजों के जमाने से कब्ल जमींदारी उन्मूलन से स्थित है। जिस पर वादीगण का कब्जा दखल उनके पूर्वजों के जमाने से पुस्त दर पुस्त से चला आ रहे है। जो वादीगण की पुस्तैनी अबादी है जिसका उपयोग व उपभोग वादीगण करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त सम्पत्ति की मौके की स्थिति को समझने हेतु तथा बाद के तथ्यों को समझने की सुविधा हेतु वादपत्र के साथ मौके का एक नजरी नक्शा संलग्न किया जाता है जिसे वादपत्र का अंग समझा जाये ।
3. वादीगण के वादग्रस्त मकान का निकास सेहन व दरवाजे के जानिब उत्तर तरफ है। उत्तर तरफ आम रास्ता सडक स्थित है और वादीगण के मकान के जानिब दक्षिण आराजी संख्या 85 स्थित मौजा | थुलबुला परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी स्थित है तथा वादीगण के मकान के पूरब आराजी संख्या 86 मौजा

उपरोक्त में स्थित मकान पश्चिम तरफ आयशा बीबी आदि का मकान स्थित है। वादीगण के मकान के जानिब उत्तर रास्ता का भूखण्ड स० 40 स्थित मौजा उपरोक्त स्थित है जिस पर काफी अरसा पूर्व पक्की सडक बनी हुई है वादीगण के वादग्रस्त मकान का निकास वादग्रस्त मकान का निकास व सेहन जानिब उत्तर तरफ है और मकान उत्तर सेहन की भूमि वादिगण के मकान से सलग्न अपटीनेंट लैण्ड है। इस प्रकार वादीगण का मकान जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से बना हुआ है। वादगण जिसके पूर्ण मालिक व काबिज है जो अंतर्गत धारा 9 उ०प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधि० वादिगण से निहित हो चुकी है। वादीगण के उपरोक्त वादग्रस्त मकान से प्रतिवादी सं० 1 व 2 से कभी कोई वास्ता व सरोकार नहीं था और न आज है किन्तु प्रतिवादी सं० 2 के अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी क्षेत्रीय लेखपाल की साजिश से वादीगण के वादग्रस्त मकान को ध्वस्त करने एवं वादीगण को उनके पुश्तैनी मकान से बेदखल करने की कार्यवाही अवैधानिक तरीके से करना चाहते है। वादीगण को प्रतिवादी सं0 2 के अधीनस्थ कर्मचारी क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा वादीगण के विरुद्ध व साजिस गांव की पार्टीबंदी व क्षेत्रीय राजनैतिक दबाव में आकर वादग्रस्त मकान को ध्वस्त करने की धमकी देने एवं उससे बेदखल करने की फर्जी कार्यवाही करने की धमकी देने एवं उससे बेदखल करने की फर्जी कार्यवाही करने की धमकी देने देने एवं उससे बेदखल करने की फर्जी कार्यवाही करने की धमकी देने से न्यायालय के सीमान्र्तगत उत्पन्न हुआ और बराबर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 के अधीनस्थ कर्मचारी क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा उपरोक्त प्रकार से वादीगण के मकान को ध्वस्त करने व वादग्रस्त जमीन से बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टी डाक उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा दाखिल करने हेतु नोटिस अन्तर्गत धारा 106 उ०प्र० पंचायत राज अधि० एवं धारा 80 सी०पी०सी० प्रेषित कर दिया है जिसकी 60 दिन अवधि बीत चुकी है किन्तु प्रतिवादीगण ने वादीगण के द्वारा भेजी गयी कानूनी नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया है। वाद का कारण प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के कर्मचारी क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा 3-4 माह पहले सन 2002 को मकान को गिराने व उससे बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमान्तर्गत उत्पन्न हुआ है और दिनांक 10.07.02 को पुनः क्षेत्रीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुचकर उपरोक्त प्रकार से मकान गिराने व उससे बेदखल करने की धमकी देने से न्यायालय के सीमान्तर्गत वाद का कारण उत्पन्न हुआ और बराबर जारी है।

4. वाद का कारण माह अप्रैल 2002 व उसके बाद दि010.07 2002 को प्रतिवादी संख्या 2 के अधीनस्थ कर्मचारी क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा वादीगण के मकान को गैर कानूनी ढंग से गांव की पार्टीबदी में आकर अन्यथा रूप से प्रभावित होकर वादीगण के मकान को गिराने व उससे बेदखल करने की धमकी देने के कारण न्यायालय केसीमान्तर्गत उत्पन्न हुआ और बराबर जारी है तथा न्यायालय को प्रस्तुत वाद के सुनवाई एवं निस्तारण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

5. वादीगण द्वारा याचना की गयी कि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों को वर्जित किया जावे कि वे वादीगण के वादग्रस्त मकान को जबरन गैर कानूनी ढंग से न गिरावे और न ही उससे वादीगण को बेदखल करें तथा किसी अन्य प्रकार से वादीगण के कब्जा दखल उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें।

6. प्रतिवादी संख्या-1 व 2 की ओर से अपना जबावदावा कागज संख्या 39 क दाखिल कर वादपत्र के कथनों से इनकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया कि वादी का मौके पर कोई रिहायशी मकान जमीदारी उन्मूलन के पूर्व से नहीं बना है जैसा कि वादी द्वारा अभिकथित किया गया है बल्कि वादीगण द्वारा अवैध रूप से कुछ वर्ष पूर्व ग्राम सभा की सरकारी भूमि पर वादग्रस्त भवन का निर्माण किया गया है। मकान जमीदारी पूर्व का न होने के कारण धारा 8 जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधि० के अन्तर्गत निहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आराजी संख्या 85 भूदान यज्ञ समिति की भूमि है जिसका पटटा रामसेवक निवासी थुलगुला के पक्ष में हुआ था जिससे वादीगणों ने अवैध ढंग से बैनामा कराया है। आराजी संख्या 86 में वादीगणों ने 5 दुकानों का निर्माण किया है।

आराजी संख्या 40 राजकीय अभिलेखों में रास्ता दर्ज है जो कि ग्राम सभा की सरकारी भूमि है और आराजी संख्या 40 पर भी वादीगणों ने अवैध रूप से 11 दुकानों का निर्माण कर लिया है जिस पर उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं प्राप्त है। मौके पर वादीगण का कोई रिहायशी मकान नहीं बना है आराजी संख्या 86 की आड में आराजी संख्या 40 पर जो रास्ता है उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके मकानों का निर्माण कर लिया है। आराजी संख्या 85 पर भी वादीगणों को कोई विधिक अधिकार नहीं हैआराजी स 0 85 वाद संख्या 6972 वर्ष 2005 सरकार बनाम राम सेवक आदि अन्तर्गत धारा 167 उ 0 प्र 0 ज०वि० अधि0 में सहायक कलेक्टर-प्रथम कौशाम्बी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.06 के द्वारा राज्य सरकार में निहित हो चुकी है जिस पर वादी को किसी भी प्रकार का स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा करके वादग्रस्त भवन / दुकानों का निर्माण किया है जिस पर उसे किसी भी प्रकार का विधिक स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत व उ०प्र०सरकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि के विधिक स्वामी है। अतः दावा चादीगण पोषणीय नहीं है। दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 जा०दी० से बाधित है। दावा वादीगण वादकारण के अभाव में पोषणीय नहीं है। दावा वादीगण निराधार है तथा लोक सम्पत्ति व ग्राम पंचायत भूमि को हडप करने के उददेश्य से दाखिल किया गया है। अतः दावा वादीगण सव्यय निरस्त होने योग्य है।

7. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 19.11.2011 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किया गया।

1 क्या वादीगण वादग्रस्त मकान के स्वामी व काबिज दाखिल है?

2. क्या वादी द्वारा प्रदत्त मूल्याकन व न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

3. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?

4. क्या वादी किसी अनुतोष को पाने के अधिकारी है?

5. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे सूची 8 ग के माध्यम से नकल खसरा कागज संख्या 9 ग,खतौनी कागज संख्या 10 ग,बैनामा दिनांकित 27.09.1996 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 11 ग , भु-मानचित्र की छायाप्रति कागज संख्या 12 ग व नकल नोटिस की छाया प्रतिकागज संख्या 13 ग दाखिल की गई है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में सूची से जैनउल आबदीन को पी0 डब्लू-1 के रूप मे , अब्दुल रशीद को पी0 डब्लू-2 के रूप, सिद्दीक अहमद को पी0 डब्लू-3 के रूप मे परीक्षित कराया गया।

6. प्रतिवादिगण ने अभिकथन के समर्थन मे कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में योगरेन्द्र सिंह डी0 डब्लू-1 के रूप मे प्रस्तुत व परीक्षित कराया गया।

7. मामले मे कमीशन के प्रार्थना पत्र पे बाल न देने के अभाव मे खारिज कर दिया गया है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व मे बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु उभय पक्ष द्वारा मौखिक बहस नहीं की गई तत्तपश्चात पक्षकार लिखित बहस दाखिल करने हेतु भी पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु पक्षकार द्वारा लिखित बहस भी दाखिल नहीं की गई। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जा रहा है।

-: निष्कर्ष —:

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1-

11 . वाद बिन्दु संख्या-1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण वादग्रस्त मकान के स्वामी व काबिज दाखिल है?**

12 . उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा वाद पत्र मे यह अभिकथन किया गया है वादिगण के अभिकथन है कि वादिगण का पुश्तैनी मकान मौजा-थुलबुला ,परगना –कडा ,तहसील सिराथु, जनपद-कौशाम्बी मे है। उक्त संपत्ति पर वादिगण का कब्जा दखल जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से चला आ रहा है। जिसका वादिगण द्वारा उपभोग व उपयोग काफी समय से करते चले आ रहे है। वादिगण द्वारा यह अभिकथन किया गया की वे वादग्रस्त मकान जिसे वादपत्र के साथ सलंग नक्शा नजरी बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है उसे प्रतिवादिगण जबरन गैर कानूनी ढंग से न गिरवाये न ही वादिगण के उपयोग व उपभोग मे हस्तछेप करे।

13.प्रतिवादिगण द्वारा वादिगण के अभकथनों का खंडन करते हुए कथं किया गया है वादिगण का कोई मकान जमीनदारी उन्मूलन के पूर्व से नहीं बना है बल्कि वादिगण द्वारा अवैध रूप से कुछ वर्ष पूर्व ग्राम सभा की सरकारी भूमि पे वादग्रस्त भवन का निर्माण किया गया। वादिगण का मौके पर रिहाइशी मकान नहीं बना है। बल्कि वादिगण द्वारा अवैध रूप से कुछ वर्ष पूर्व ग्राम सभा की सरकारी पर वादग्रस्त भवन का निर्माण किया गया है। वादिगण का मौके पर रिहाइशी का मकान नहीं बना है। बल्कि अराजी संख्या 86 की आढ़ मे अराजी संख्या 40 पर जो रास्ता है। उसपर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके मकान का निर्माण कर लिया गया है।

14. इस प्रकार उभयपक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक संख्या से सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है की क्या वादिगण स्वयं द्वारा बताया गया वादग्रस्त मकान के मालिक,काबिज व दाखिल है? पी0 डब्ल्यू-1 जैनऊल आबदीन ने अपनी प्रति परीक्षा मे यह कथन किया है कि " अराजी संख्या 85 मैंने रामसेवक से सन 1995 मे बैनामे से खरीदा। आराजी नंबर 86 भी मैंने बैनामे से खरीदा है। किस्से व कब खरीदा याद नहीं है। दोनों अराजी की लबाई चौड़ाई मै नहीं बता सकता । दोनों अराजी को मैंने ही खरीदा है। और भी हिस्सेदार। अराजी संख्या 86 मे पूरा मकान बना है। अराजी संख्या 85 मे 15-20 फिट बना होगा। मकान अराजी संख्या 85 मे पूरब व पश्चिम भाग पर बना है। अराजी संख्या 85 भूदान यज्ञ समिति की जमीन थी।बल्कि रामसेवक के नाम दर्ज है। रामसेवक के पिताजी का नाम छोटू राम ही। अराजी संख्या 85 व 86 मे दुकान नहीं है बल्कि रेहाइशी मकान बनवाया है। यह मुकदमा मैंने 85 व 86 पूरे रकबा का दाखिल किया है। इस मुकदमे मे अराजी नंबर 85-86 की नाप जोख तथा मकान की नाप जोख हमने नहीं लिखाई है। अराजी संख्या 86 के हिस्सेदारों को भी हमने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया लेखपाल व कानूनगो परेशान कर रहे थे उन्ही को पक्षकार बनाया है। विवादित मकान DM व तहसीलदार ने ध्वस्त करा दिया गया है। गिराने से पहले मैंने मुकदमा दाखिल कर दिया है।

15. पी0 डब्ल्यू-2 अब्दुल रशीद ने अपनी प्रति परीक्षा मे यह कथन किया है की " इस समय मौके पर मकान नहीं है। जैनउल आबदीन का खंडहर है। मुझे नहीं पता की अराजी नंबर 85 राज्य सरकार मे निहित भूमि है। चुकी वादी का मकान गिर दिया गया था इसलिए वादी ने यह मुकदमा दाखिल किया था। वादी के मकान को साशन ,डी०एम० ,एस०डी०एम व लेखपाल ने गिराया था। चार साल पहले गिराया था।

16.पी0 डब्ल्यू-3 सिद्दीक अहमद ने अपनी प्रति परीक्षा मे यह कथन किया है की "मकान अराजी संख्या 85 व 86 मे बना है। अराजी संख्या 85 का मै तन्हा मालिक हुँ। अराजी संख्या 86 मे और लोग भी हिस्सेदार है। अराजी संख्या 85 मे मेरी चचेरी बहन का भी मकान है। अराजी संख्या 85 मे 05 मकान मुनन, आयशा बीबी ,जैनउल आबदीन,रईस अहमद,व सिद्दीक अहमद के मकान बने है।

17. वादिगण तथा प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत व परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के उपरांत न्यायालय का मत है।कि वादिगण द्वारा विवादित संपत्ति के बाबत कोई भी मॅप नहीं दर्शाई गई है। न ही स्पष्ट किया गया है कि विवादित संपत्ति अराजी संख्या 85 मे है व 86 मे कुल कितने रकबे का है। पी0 डब्ल्यू-1 द्वारा अपने जिरह मे इस तथ्य

को स्वीकार किया गया है कि अराजी संख्या 85 भूदान समिति की जमीन थी किन्तु उक्त साक्षी द्वारा आगे अपने जिरह मे यह भी स्वीकारा गया है कि अराजी संख्या 85 रामसेवक के नाम दर्ज है। साक्षी द्वारा उक्त दोनों कथनों से अराजी संख्या 85 के बाबत स्वामित्व स्पष्ट नहीं कि गई है। पी0 डब्ल्यू1 के द्वारा अपने जिरह मे यह कथन किया गया है की अराजी संख्या 85 व 86 मे मैंने दुकान नहीं बनाया है बल्कि रिहाइयशी मकान बनवाया है। जबकि उक्त साक्षी के विपरीत साक्षी पी0 डब्ल्यू-3 द्वारा अपनी जिरह मे कथं किया गया की विवादित मकान की चौड़ाई 60*40 फिट है व दुकान की चौड़ाई एक एक दुकान की 8 फीट व लंबाई 9 फुट थी। उक्त साक्षियों के अभिकथनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है की। विवादित संपत्ति पर मकान बना है या दुकान अगर मकान व दुकान दोनों बना है तो की अराजी संख्या पर है न ही वादपत्र के साथ नक्शा नज़री मे मे दर्शाया गया है।

18.पी0 डब्ल्यू-3 द्वारा अपने जिरह मे यह अभिकथन किया गया है कि दोनों जमीन पुश्तैनी नही है। बैनामा से खरीदा गया है। यहाँ अराजी संख्या 85,86 के स्वामित्व का श्रोत बयनामा बताया गया है। किन्तु वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य मे केवल अराजी संख्या 85 के बाबत सत्य प्रतिलिपि दाखिल कि गई किन्तु अराजी संख्या 86 के बाबत कोई भी बयनामा नहीं दाखिल किया गया है। पी0 डब्ल्यू-1 द्वारा अपने जिरह मे यह अभिकथन किया गया है कि अराजी संख्या 85 पर मेरे अलावा सिद्दीक अहमद और अराजी संख्या 86 मे शिवकान्त,एनुल हसन,असद सगीर ,गिरजन लाल,आदि है। पी0 डब्ल्यू-3 मे अपनी जिरह मे यह अभिकथन किया गया है कि अराजी संख्या 85 का मै तन्हा मालिक हु। अराजी संख्या 85 मे मेरी चचेरी बहन का भी मकान है। अराजी संख्या 85 मे 05 मकान मुनन,आयशा बीबी,जैनउल आबड़ीं,रईस अहमद व सिद्दीक अहमद के मकान है। अराजी संख्या 86 मे 20-25 लोग के मकान है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दोनों बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कई सह खातेदार है।

19.पत्रावली मे सलंगन राजस्व पपत्रो से भी स्पष्ट है की विवादित अराजी पर वादी के अतिरिक्त अन्य सह खातेदार है जिन्हे औपचारिक पक्षकार बनाना चाहिए था किन्तु नहीं बनाया गया है।

20.पी0 डब्ल्यू-1 द्वारा अपने जिरह मे कथन किया गया है की यह मुकदमा मैंने अराजी संख्या 85 व 86 मे से केवल अपने हिस्से का दाखिल किया है। उक्त साक्षी द्वारा आगे अपने जिरह मे यह भी अभिकथन किया है कि यह मुकदमा मैंने अराजी संख्या 85 व 86 के पूरे रकबे का दाखिल किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी परस्पर विरोधी अभिकथन किए गए है।

21. फूलमती देवी बनाम मानिक लाल, 2005 (2) AWC 1823 (Allahabad) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर विवादित सम्पत्ति की पहचान न हो सके वहां पर निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं प्रदत्त किया जा सकेगा।

22. पी0 डब्ल्यू-1 द्वारा अपने जिरह मे यह कथन किया गया है कि विवादित मकान तहसीलदार व D.M के द्वारा ध्वस्त कर दिया। गिरने से पहले मैंने मुकदमा दाखिल कर दिया इस बाबत वादपत्र मे कोई संशोधन नहीं किया गया है। एवं विवादित मकान की भूमि अगर बयनामे से खरीदी गई होती तो D.M द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता। वादी को अपने बयान मे स्वीकृत है की विवादित मकान ध्वस्त कर दिया गया है किन्तु कोई तारीख वर्णित नहीं है। न ही कोई संशोधन वादपत्र मे संशोधन नहीं किया गया। वंचित अनुतोष वर्तमान मे निष्प्रभावी हो चुका है।

23. वादग्रस्त संपत्ति के बाबत कोई अद्यतन राजस्व प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट हो की अराजी संख्या 85 व 86 मे वादिगण का नाम दर्ज हो।

24. अतः उक्त समेकित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा अभिकथित वादग्रस्त भूमि निश्चित और पहचान योग्य नहीं है। वादग्रस्त मिनजुमला भूमि पर सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं विवादित भूमि सरकार के नाम दर्ज है।

25. विवादित भूमि पर वादीगण को अपना कब्जा व दखल अपने स्वयं के साक्ष्य से साबित करना है। प्रतिवादिगण की कमियों का लाभ वादी नहीं ले सकता है। जिसे वादीगण अपने स्वयं के दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से साबित नहीं कर सके हैं।

26. अतः उपरोक्त आधार पर वादीगण विवादित सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

27. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 –

28. वाद बिन्दु संख्या-2 **इस आशय का विरचित किया गया है क्या वादी द्वारा प्रदत्त मूल्याकन व न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

29. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक- 29.11.2011 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

30. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3-**

31. वाद बिन्दु संख्या-3 **इस आशय का विरचित किया गया है क्या वादी क्या याद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?**

32. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक- 21.01.2012 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

33. निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4 -

34. वाद बिन्दु संख्या-4 **इस आशय का विरचित किया गया है** क्या वादी किसी अनुतोष को पाने के अधिकारी है?

35. उक्त बाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता ने स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर ही बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1 न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि वादी मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरूद्ध पाने की अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादी किसी अन्य अनुतोष को भी पाने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादी मुख्य अनुतोष को ही अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

36. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हबीबबुल्लाह बनाम मो० यासीन आदि द्वितीय अपील संख्या 958 वर्ष 1980 निस्तारित 12 दिसम्बर 1994 के मामले में व Moran Mar Basselios Catholics & another V. Most. Rev. Mar Poulose Athnnasina & others (AIR 1954 S.C. Page 526) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी के कमियों का लाभ नही ले सकता है।

37. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु सं० 01 ता 04 पर दिए गए निष्कर्षो के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा वादी अपने किसी भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से उक्त अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया गया है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किए जाने योग्य है।

-:आदेश:-

37. प्रस्तुत मूल वाद संख्या-504/2002 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक- 20 .09.2022 **(सबा फातिमा)**

सिविल जज (क 0 श्रे0)/ त्वरित न्यायालय-I

कौशाम्बी

J.O.Code-UP3431

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक- 20 .09.2022 **(सबा फातिमा)**

सिविल जज (क 0 श्रे0)/ त्वरित न्यायालय-I

कौशाम्बी

J.O.Code-UP3431

Digitally signed by Saba Fatima
Date: 2023.04.27 13:02:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court